कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल(विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के सामने, भोपाल, पिन - 462011
Tel. No. 0755-4246424, 2551017, E-mail- cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 3981 /नातौ/अ-1(1)प्रवर्तन/./2020 भोपाल, दिनांक 25-11-2020

प्रति,

समस्त निरीक्षक,
नाप-तौल,(विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय :- प्रदेश में बायोडीजल की खुदरा बिक्री के संबंध में निरीक्षण एवं कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ :- भारत का राजपत्र, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधीसूचना, नई दिल्ली दिनांक 30 अप्रैल 2019 के संबंध में।

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अधीसूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि जैव डीजल की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति लेने के लिए आवेदन राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के नागरिक आपूर्ति विभाग / अन्य विभाग, जिसे इस कार्य के लिए संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, को प्रस्तुत करना होगा।

साथ ही राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्राधिकरणों (संदर्भित अधीसूचना के पृष्ठ क्र. 3 अनुसार) से पंजीकरण / अनुमोदन / अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित किया गया है, जिसमें संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के माप-तौल विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित किया गया है।

किंतु यह देखने में आया है कि बायोडीजल पंप पर लगाई गई डिस्पेंसिंग यूनिट का इस विभाग से स्टांपिंग कर डीलर द्वारा अनाधिकृत रूप से बायोडीजल की बिक्री की जा रही है, जबकि विधिवत सक्षम कार्यालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही स्टांपिंग किया जाना है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त पंपों का संचालन विधिवत सक्षम कार्यालय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही शासन के निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

Sd/-

नियंत्रक
नाप-तौल, मध्यप्रदेश
भोपाल

C:\Users\naptol5\Downloads\all latter (11).docx